

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

प्रकरण संख्या :-73/25

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
एयू स्मॉल फायनेंस बैंक लि. प्लॉट नम्बर 39, शान्तिवन पांचवी मंजिल, 11 वी रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री रामदीन		<ul style="list-style-type: none"><li>मैसर्स मातेश्वरी एन्टरप्राइजेज जरिये प्रोपराईटर मांगीलाल सुथारो का बास, खारडा मेवासा, ओसिया, जिला जोधपुर</li><li>मांगीलाल पुत्र मंगाराम सुथारो का बास, खारडा मेवासा, ओसिया, जिला जोधपुर</li></ul>

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन  
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

आदेश दिनांक :-29.09.2025

1-चन्द्र सिंह राठौड अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण मैसर्स मातेश्वरी एन्टरप्राइजेज जरिये प्रोपराईटर मांगीलाल व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 5,50,000/-मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण मांगीलाल पुत्र मंगाराम की जायदाद पट्टा सं. 47, मिसल स. 06/2019-20, ग्राम खारडा मेवासा, जिला जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 178.78 वर्ग गज जिसके उत्तर में रास्ता एवं स्वयं का निकास, दक्षिण में हरीराम सुथार का मकान, पूर्व में ओमराम का मकान एवं पश्चिम में खातेदारी भूमि आया हुआ। प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी को प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रतिभूतिकरण आदेश जारी किये गये

Signature valid

Digitally signed by Gopal Agrawal  
Designation: Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.09.29 17:17:15 IST  
Reason: Approved



RajKaj Ref No.:  
18061664

तथा नोटिस प्राप्त/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 13.05.2025 तक 3,82,660/- भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 5,50,000/-मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 13.05.2025 तक 3,82,660/- वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्त /सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्चुराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्चुरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्तजायदाद मांगीलाल पुत्र मंगाराम की जायदाद पट्टा सं. 47, मिसल स. 06/2019-20, ग्राम खारडा मेवासा, जिला जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 178.78 वर्ग गज जिसके उत्तर में रास्ता एवं स्वयं का निकास, दक्षिण में हरीराम सुथार का मकान, पूर्व में ओमाराम का मकान एवं पश्चिम में खातेदारी भूमि आया हुआ, का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की



जायदाद आज दिनांक 29.09.2025 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal  
Designation: Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.09.29 17:17:15 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
18061664